15

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दंडनायक (फा0ट्रे0) झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारीः– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस)

दावा संख्याः–403/2008

1. बलवंत उम्र 50 वर्ष पुत्र लक्ष्मणसिह जाति जाट निवासी बगड तह व जिला झुन्झुनू।
2. विरेन्द्र उम्र 48 वर्ष पुत्र लक्ष्मणसिह जाति जाट निवासी बगड तह व जिला झुन्झुनू।
3. सत्यवीर उम्र 32 वर्ष पुत्र लक्ष्मणसिह जाति जाट निवासी बगड तह व जिला झुन्झुनू

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र दान सिंह जाति जाट निवासी बगड तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. बैंक ऑफ बडौदा जरिये प्रबन्धक बगड जिला झुन्झुनू।
4. अजय सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी बगड़ वार्ड नम्बर 12 खटीकान मौहल्ला बगड़ तह व जिला झुन्झुनू।
5. इन्दु पुत्री प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी बगड़ वार्ड नम्बर 12 खटीकान मौहल्ला बगड़ तह व जिला झुन्झुनू।
6. प्रदीप पुत्र प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी बगड़ वार्ड नम्बर 12 खटीकान मौहल्ला बगड़ तह व जिला झुन्झुनू।
7. प्रवीण पुत्र प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी बगड़ वार्ड नम्बर 12 खटीकान मौहल्ला बगड़ तह व जिला झुन्झुनू।
8. सुनिल पुत्र प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी बगड़ वार्ड नम्बर 12 खटीकान मौहल्ला बगड़ तह व जिला झुन्झुनू।
9. धर्मपाल पुत्र जयराम सिंह जाति जाट निवासी बगड़ वार्ड नम्बर 12 खटीकान मौहल्ला बगड़ तह व जिला झुन्झुनू।
10. विनोद सैनी पुत्र मातुराम सैनी जाति सैनी निवासी बगड़खटीकान मौहल्ला बगड़ तह व जिला झुन्झुनू।
11. बिमला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी बगड़ खटीकान मोहल्ला वार्ड नम्बर 12 तहसील व जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री रणजीत सिंह :– वादीगण की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र सैनी :– प्रदीवादीगण नम्बर 6,8,9,10 व 11 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, जी0ए0 :– राज्य सरकार की ओर से।

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय **दिनांकः– 06.04.2021**

वाद वादी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वाके कस्बा बगड तहसील व जिला झुन्झुनू में काश्त की भूमि गत खसरा नम्बर 1209 मीन तादादी 8 बीघा 2 बिश्वा जिसके वर्तमान में सेटलमेन्ट के बाद में नये खसरा नम्बर 1256 तादादी 0.01 हैक्टर गै0 मु0 कुआं व 1258 तादादी 2.05 हैक्टर चाही जमीन है। इस जमीन के खातेदार काश्तकार वादीगण है। इस जमीन ने वादीगण के अलावा अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 का एक संयुक्त हिन्दु परिवार है व इस परिवार का कर्ता खानदान प्रतिवादी नम्बर 2 लक्ष्मण सिंह है। व वादीगण उक्त लक्ष्मणसिंह की संतान है इस संयुक्त परिवार की सम्पति से ही जमीन जैर बहस भूमि गत खसरा नम्बर 1209 तादादी 8 बीघा 2 बिश्वा को प्रतिवादी नम्बर 2 ने इस संयुक्त हिन्द परिवार की आय से वादी नम्बर 1 के नाम से खरीदी थी जिससे यह जमीन खरीदी थी वादी नम्बर 1 नाबालिग था। इस कारण से यह जमीन वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 2 की पैत्रिक आमदनी से ही खरीदी गई सम्पति

16

होने से इस जमीन जैर बहस के सभी खातेदार काश्तकार है। जमीन जैर बहस के बाबत एक दावा अदालत हाजा में श्रीमती संतोष वगैरह बनाम धर्मपाल वगैरह किया गया था व उक्त मुकदमें का निर्णय अदालत हाजा द्वारा दिनांक 28.07.1986 को राजीनामा से किया व जमीन जैर बहस की खातेदारी वादी नम्बर 1 बलवंत के नाम से देने का आदेश व डिक्री पारित की उक्त दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू बमुकदमा उनवानी श्रीमति संतोष वगैरह बनाम धर्मपाल वगैरह दावा संख्या 64/84 व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.1986 है। जिसकी कोई अपील नही हुई। अदालत हाजा में पहले चला दावा संतोष वगैरह बनाम धर्मपाल वगैरह में वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपने जवाब दावें में भी इस जमीन को संयुक्त हिन्दु परिवार की मानकर के ही जवाब पेश किया था। जमीन जमीन जैर बहस संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रिक सम्पति से ही खरीदी गई थी व इस जमीन पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 का शामिल में ही कब्जा काश्त है व आगे कोई विवाद ना हो इस कारण से राजस्व रिकार्ड में भी जमीन जैर बहस पर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 की खातेदारी में दर्ज हो जावे तो आगे चलकर कोई विवाद ना हो इसी कारण से यह दावा पेश किया जा रहा है। वादीगण नम्बर 2 व 3 ने जमीन जैर बहस में सुधार के लिए बैंक से ऋण लेना चाहा तो बैंक वालों ने राजस्व रिकार्ड की नकल मंगवाई जो पटवारी हंल्का से दिनांक 16.06.2008 को प्राप्त की तो पता चला की जमीन जैर बहस में वादीगण के नाम नही है। तो वादी 2 व 3 ने वादी नम्बर 1 से प्रतिवादी नम्बर 2 से इस बाबत पूछा तो उन्होंने कहा रिकार्ड दुरूस्ती करने के बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने कहा कि दावे से ही यह दुरूस्ती होगी तो यह दावा किया जा रहा है। जमीन जैर बहस बाबत एक दावा सहायक कलक्टर झुन्झुनू में दावा उनवानी संतोष वगैरह बनाम धर्मपाज वगैरह मु0 न. 64/84 चला था जिसका निर्णय दिनांक 28.07.2015 को हो गया व दावे में जमीन जैर बहस की खातेदारी वादी नम्बर 1 के नाम से दर्ज होने का आदेश पारित किया था। परन्तु उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरकरण तसदीक नही किया गया है। दावा हाजा के लिए बिनाएमुख्समत दिनांक 16.06.2008 को पटवारी हल्का द्वारा नकल लेने के रोज व दिनांक 01.10.2018 को तहसीलदार जी द्वारा दावा करने की राय देने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे की जमीन जैर बहस गत खसरा नम्बर 1209 मीन तादादी 8 बिघा 2 बिश्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1258 तादादी 2.05 हैक्टर कुल किता 1 कुल तादादी 2.05 हैक्टर के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 को शामिल में घोषित किया जाये व इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में भी दुरूस्ती की जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस मय दावा प्रति वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 व 3 बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 03.09.2009 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से जबाव दावा के रूप में आदेशिका दिनांक 06.01.2014 में अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार नियमानुसार बंटवारा किया जावे तथा राजस्व हानि नहीं हो तो कोई एतराज नहीं है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों जबाव दावा प्रतिवादी संख्या 1 जी0ए0 पैरोकार सरकार, प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्रों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

वादीगण द्वारा दिनांक 27.08.2020 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई। बहस प्रस्तुत कर वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 25.04.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभी तक लंबित है, उसका निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 25.04.2013 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 व उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तथा इनके वारिसान पूर्व में ही रिकार्ड पर हैं इसलिये प्रतिवादी संख्या 02 के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किया जावे।

अतः उक्तानुसार उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2013 स्वीकार किया जाता है तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 2 के नाम के आगे ''मृतक'' अंकित किया है। प्रतिवादीगण संख्या 6, 8, 9, 10 व 11 की ओर से जबाव दावा पेश कर वाद की धारा 1 लगायत 7 अस्वीकार करते हुए वाद वादी बेबुनियाद होने के कारण दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाने का निवेदन किया है। तत्पश्चात वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य स्वरूप चीफ शपथ पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादीगण को दी जाकर जिरह अवसर न्यायहित में

17

दिया गया, परन्तु वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं करने पर उनकी जिरह बंद की गई। पत्रावली बहस में रखी जाकर बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की व वकील उभयपक्ष को सुना जाकर समाहत किया गया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर बगौर मनन किया गया। वाद पत्र में वादीगण गत खसरा नम्बर 1209 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1258 रकबा 2.05 है0 के खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को घोषित करवाने व न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू के निर्णय व डिक्री के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है।

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू द्वारा दावा संख्या 64/84 में दिनांक 28.07.1986 को पारित निर्णय के अनुसार खसरा नम्बर 1209 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के बाबत अकेले बलवन्त सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के कब्जे काश्त में रहने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया। इस निर्णय का रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। यह निर्णय दिनांक 28.07.1986 अंतिम हो चुका है। दावा संख्या 64/84 में यह भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि खसरा नम्बर 1209 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1971 से बलवन्त सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जो वर्तमान में वाद पत्र में वादी नम्बर 1 है के नाम से खरीदशुदा है। दिनांक 28.06.1971 को बलवन्त सिंह का नाबालिग होना प्रस्तुत दस्तावेजों में सिद्ध है। परन्तु इस विक्रय पत्र व दावा संख्या 64/84 में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार दिनांक 27.08.1986 को निर्णय पारित किया गया था। इस निर्णय में पारित आदेश द्वारा जो अनुतोष न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू द्वारा प्रदान किया गया है उस अनुतोष से भिन्न बशर्ते वर्तमान डीएलसी दर पर देय मुदांक शुल्क व नियमानुसार पंजीयन शुल्क पर अनुतोष वर्तमान दावा वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद सख्यां 64/84 में पारित निर्णय दिनांक 28.07.1986 की रोशनी में कस्बा बगड़ के गत खसरा नम्बर 1209 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा जिसके वर्तमान के खसरा नम्बर 1258 रकबा 2.05 है0 में वादी संख्या 1 के साथ वादी संख्या 2 लगायत 3 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह वादी संख्या 1 के रकबे के अलावा वादी संख्या 2 लगायत 3 के हिस्से में आने वाली भूमि पर नियमानुसार देय मुदांक शुल्क व पंजीयन शुल्क वसूल कर राजस्व रिर्काड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकद दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
दंडनायक (फा0ट्रे0) झुन्झुनू